

## दिनांक 21.7.2020 को आयोजित राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 21 जुलाई, 2020 को श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, एनसीवीईटी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में एनसीवीईटी के सभी सदस्यों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-1** में दी गई है।

अध्यक्ष ने बैठक की शुरुआत, सदस्यों के स्वागत से किया और नव स्थापित विनियामक निकाय-एनसीवीईटी के उद्देश्य के बारे में संक्षेप में बताया। इसके बाद, एनसीवीईटी की कार्यकारी सदस्य, डॉ विनीता अग्रवाल ने एनसीवीईटी की रूपरेखा पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी- वर्तमान विनियामक की ढांचा, एनसीवीईटी की प्रत्यायोजित विनियामक प्रणाली और एनसीवीईटी की शक्तियां, इसकी संरचना, निधीयन और लेखा परीक्षा तंत्र और वे परिवर्तन जो कौशल वास्तुकला के लिए इसके द्वारा लाए जायेंगे। उन्होंने यह जानकारी दी कि एनसीवीईटी में एनसीवीटी और एनएसडीए दोनों सम्मिलित हो जाएगा और अधिसूचना के अनुसार, एनएसडीए के अवसंरचना और संसाधनों का उपयोग एनसीवीईटी के लिए किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कार्यसूची में शामिल अन्य मदों पर एक प्रस्तुति दी।

### 2: कार्यसूची मद संख्या 2: अब तक की गई कार्रवाई

- (i) परिषद को यह जानकारी दी गयी कि इस परिषद के गठन से पहले, एसीसी के अनुमोदन के आधार पर, पूर्व सचिव डॉ. के.पी कृष्णन ने अध्यक्ष, एनसीवीईटी के रूप में और सुश्री विनीता अग्रवाल, डीजी एनएसडीए एक कार्यकारी सदस्य के रूप में दिनांक 04.11. 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। परिषद ने दिनांक 11.11.2019 को आयोजित बैठक में उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को नोट किया।
- (ii) एनसीवीईटी के साथ राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) का विलय परिषद को यह जानकारी दी गई कि एनसीवीईटी की अधिसूचना के अनुसार, एनसीवीटी और एनएसडीए को एनसीवीईटी में सम्मिलित किया जाना है। परिषद ने नोट किया कि दिनांक-10.06.2020 के आदेश के जरिये एनसीवीटी को एनसीवीईटी के साथ विलय कर दिया गया था, जिसमें डीजीटी को डीजीटी द्वारा बनाई गई और एनएसडीए/एनसीवीईटी द्वारा अनुमोदित अर्हता के लिए दीर्घावधि और अल्पकालिक प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक पुरस्कार और मूल्यांकन निकाय के रूप में मान्यता दी गई थी।
- (iii) अवार्डिंग बॉडी और असेसमेंट एजेंसी के लिए दिशा-निर्देशों को बनाना

परिषद ने अवार्डिंग बॉडी (एबी) और असेसमेंट एजेंसियों (एए) की मान्यता के लिए दिशानिर्देशों के बनने में हुई प्रगति को नोट किया। कार्यकारी सदस्य (वीए) ने बताया कि एनसीवीईटी द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, उन्हें अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।

अध्यक्ष, एनसीवीईटी ने सुझाव दिया कि मसौदा दिशानिर्देशों को परिषद के सदस्यों के साथ उनके टिप्पणियों के लिए साझा किया जाए और दिशानिर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में रखने से पहले उनके साथ आमने-सामने की बैठकें की जा सकती हैं। उन्होंने आगे यह सुझाव दिया कि दिशानिर्देशों में एक संक्रमण खंड शामिल किया जा सकता है।

#### (iv) एनसीवीईटी आईटी पोर्टल

परिषद को एनसीवीईटी के लिए तकनीकी मंच विकसित करने के लिए शुरू किए गए कदमों से अवगत कराया गया। निदेशक, एनयूएलएम ने पोर्टल के विकास में भाग लेने में अपनी रुचि व्यक्त की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनसीवीईटी पोर्टल के साथ उनके पोर्टल के एकीकरण के लिए कुछ तंत्र होना चाहिए। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि एनसीवीईटी पोर्टल एनसीवीईटी के कार्यों के अनुसार प्रक्रियाओं को सूचीबद्ध करेगा और स्किल इंडिया पोर्टल के कार्यों के साथ ओवरलैप नहीं होगा। उन्होंने एनसीवीईटी पोर्टल विकसित करने पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए एमओएचयूए का स्वागत किया।

### 3. कार्यसूची मद संख्या 3: अल्पावधि और दीर्घावधि प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप

कार्यकारी सदस्य (वीए) ने परिषद को बताया कि कई बार परामर्श करने के बाद, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप विकसित किया गया है।

चूंकि, एमओआरडी (गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी) ने आधार संख्या के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने वाले उच्चतम न्यायालय के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया। यद्यपि प्रमाण पत्र में आधार संख्या अंकित थी, अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि यह विशेष रूप से कहा जा सकता है कि प्रमाण पत्र पर आधार संख्या के केवल अंतिम 4 अंक का उल्लेख किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि प्रमाण पत्र के नीचे एक पंक्ति जोड़ी जा सकती है ताकि यह निर्दिष्ट किया जा सके कि क्या यह अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रशिक्षण के लिए थी।

उपरोक्त परिवर्तनों के साथ, परिषद ने नमूना प्रारूपों को अपनाया।

#### 4. कार्यसूची मद संख्या 4: एनएसक्यूएफ संरक्षण के लिए तंत्र

परिषद ने एनसीवीईटी में अर्हता के अनुमोदन के लिए कोई तंत्र बनाने के बारे में चर्चा की। परिषद ने सहमति व्यक्त की कि अनुमोदन के लिए मौजूदा राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति (एनएसक्यूसी) प्रारूप एनसीवीईटी में जारी रह सकता है। हालांकि, एनएसक्यूसी की संरचना पर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि एनएसक्यूसी की अध्यक्षता सचिव, एमएसडीई करेंगे और सह-अध्यक्ष एनसीवीईटी के अध्यक्ष होंगे। एनएसक्यूसी की संरचना में मौजूदा परिवर्तन की तुलना में कुछ अन्य परिवर्तनों पर सहमति हुई, जो **अनुलग्नक-II** में दिए गए विवरण में परिलक्षित होते हैं। एमओएचयूए के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया कि उन्हें एनएसक्यूसी के सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, सदस्यों द्वारा यह महसूस किया गया कि यह आवश्यक नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी एनएसक्यूसी में उनके क्षेत्र से संबंधित अर्हताएं रखी जाती हैं, तो एमओएचयूए को लाइन मंत्रालय के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।

#### 5. कार्यसूची मद संख्या 5: एनसीवीईटी का प्रतीक चिन्ह (लोगो)

एनसीवीईटी के लिए सात प्रतीक चिह्न (लोगो) का डिजाइन सदस्यों के समक्ष रखे गए। काफी विचार-विमर्श करने के बाद, परिषद द्वारा तीन प्रतीक चिह्नों (लोगो) का चयन किया गया जिन्हें **अनुलग्नक-III** में रखा गया है। यह निर्णय लिया गया कि एनसीवीईटी प्रतीक चिह्न (लोगो) के चयन के लिए लाघुसूचीयन किए गए लोगो को माननीय मंत्री, एसडीई को प्रस्तुत किया जा सकता है।

#### 6. कार्यसूची मद संख्या 6: प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

परिषद को सूचित किया गया था कि एनएसडीए में प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के वर्तमान प्रत्यायोजन को मार्च, 2014 में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। परिषद इस बात से सहमत हुई कि समान तरह के शक्तियों का प्रत्यायोजन ही एनसीवीईटी में शासी निकाय, एनएसडीए से परिषद, अध्यक्ष, एनएसडीए से अध्यक्ष, एनसीवीईटी और डीजी, एनएसडीए से कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी की शक्तियों के प्रत्यायोजन के साथ जारी रह सकता है। परिषद द्वारा अनुमोदित होने के बाद, प्रस्ताव को सहमति के लिए एमएसडीई को भेजा दिया जाएगा।

परिषद ने उसी को मंजूरी दी। अध्यक्ष ने सलाह दी कि प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन का विवरण सदस्यों को टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हो, परिचालित किया जा सकता है। एनएसडीए में शक्तियों के **प्रत्यायोजन** का तुलनात्मक विवरण और जैसा कि एनसीवीईटी में प्रस्तावित है, **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है।

## 7. कार्यसूची मद सं. 7: निरंतरता का प्रावधान

वर्तमान पारिस्थितिकी तंत्र को एनसीवीईटी पारिस्थितिकी तंत्र में सुचारु रूप से स्थानांतरित करने के लिए, निम्नलिखित निरंतरता प्रावधानों को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था:

- (i) सभी मौजूदा अवार्डिंग बॉडी (अधिसूचना या एनएसक्यूएफ के लिए अर्हता के संरेखण द्वारा मान्यता प्राप्त) और असेसमेंट एजेंसियां (संबंधित एबी द्वारा मान्यता प्राप्त) तब तक जारी रहेंगी जब तक एबी और एए की मान्यता के लिए नए एनसीवीईटी दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया जाता है, या उनकी स्वीकृति की अवधि तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।
- (ii) एनएसक्यूसी द्वारा अनुमोदित सभी अर्हताएं अनुमोदन के मौजूदा निबंधनों और शर्तों के अनुसार जारी रहेंगी।
- (iii) मौजूदा एबी और एए को दिशानिर्देशों को अपनाने के बाद अधिकतम एक वर्ष की संक्रमण अवधि दी जाएगी।
- (iv) कोई अन्य गतिविधि जिसे एनएसडीए ने अनुमति दी हो, जिसके लिए एनसीवीईटी ने कोई आदेश जारी नहीं किया है, अनुमोदन की अवधि तक, या एनसीवीईटी के किसी अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा।

यह सहमति हुई कि परिषद की बैठक प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह में होगी।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

\*\*\*\*\*

**प्रतिभागियों की सूची**

1. श्री प्रवीण कुमार, अध्यक्ष, एनसीवीईटी/सचिव एमएसडीई।
2. श्रीमती विनीता अग्रवाल, कार्यकारी सदस्य/डीजी, एनएसडीए/वरिष्ठ सलाहकार, एमएसडीई।
3. श्रीमती सुनीता संधी, कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी / वरिष्ठ सलाहकार, एमएसडीई।
4. श्रीमती जुथिका पाटणकर, मनोनीत सदस्य, एनसीवीईटी/अवर सचिव, एमएसडीई।
5. श्रीमती अलका उपाध्याय, गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी/अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय।
6. श्रीमती अनुराधा प्रसाद, गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी/अवर सचिव, एमओएलई।
7. श्री नीरज कुमार, निदेशक, एनयूएलएम, गैर-कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी की ओर से।

**निम्न व्यक्तियों की उपस्थिति में:**

1. श्रीमती संध्या सलवान, निदेशक, एनएसडीए/एनसीवीईटी।
2. श्री डी. के गोयल, सलाहकार (प्रशासन और वित्तीय), एनसीवीईटी।
3. श्रीमती शुभी माथुर, सलाहकार एनसीवीईटी।
4. श्री सुमित कुमार, सलाहकार एनसीवीईटी।
5. श्री श्रुवदीप राय, सलाहकार एनसीवीईटी।

## अनुलग्नक- II

एनएसक्यूसी की मौजूदा संरचना	एनएसक्यूसी की अनुमोदित संरचना
1. अध्यक्ष, एनएसडीए- अध्यक्ष	1. सचिव, एमएसडीई- अध्यक्ष अध्यक्ष, एनसीवीईटी- सह-अध्यक्ष
<b>सदस्यों</b>	<b>सदस्यों</b>
2. सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय	2. सचिव, श्रम और रोज़गार मंत्रालय
3. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3. सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
4. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, एमओएचआरडी	4. सचिव, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
5. सीईओ, नीति आयोग	5. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय
6-8 3 राज्यों के मिशन निदेशक (रोटेशन पर)	6. सीईओ, नीति आयोग
9. डीजी - एनएसडीए: सदस्य सचिव	7-9. 3 राज्यों के मिशन निदेशक (1 वर्ष के लिए रोटेशन पर)
10. अवर सचिव, एमएसडीई	10. कार्यकारी सदस्य, एनसीवीईटी
11. वरिष्ठ सलाहकार, एमएसडीई	11. कार्यकारी सदस्य (एनएसक्यूसी), सदस्य सचिव, एनसीवीईटी
12. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), एमएसडीई	12. महानिदेशक, प्रशिक्षण महानिदेशालय ((डीजीटी), एमएसडीई
13. संयुक्त सचिव, एमएसडीई	13. एमएसडीई के नामिति- संयुक्त सचिव से नीचे पद का नहीं
14. संयुक्त सचिव, एमएसडीई	14. सीईओ, एनएसडीसी
15. सीईओ, एनएसडीसी	15-17. एआईसीटीई, यूजीसी, सीबीएसई के प्रतिनिधि
	<b>18. क्षेत्रीय (सेक्टरल) प्रतिनिधित्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सम्बंधित प्रस्तुतकर्ता निकाय</li> <li>योग्यता के संबंध में संबंधित विनियामक निकाय, यदि आवश्यक हो</li> <li>लाइन मंत्रालय, यदि आवश्यक हो</li> <li>सिर प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख (1 सरकारी और 1 निजी)</li> </ul> असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र से प्रतिनिधि (यदि आवश्यक हो)
<b>17. क्षेत्रीय (सेक्टरल) प्रतिनिधित्व</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>सम्बंधित प्रस्तुतकर्ता निकाय</li> <li>सम्बंधित क्षेत्र कौशल परिषद</li> <li>यूजीसी/एआईसीटीई/सीबीएसई आदि जैसे विनियामक निकाय ।</li> <li>प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख (1 सरकारी और 1 निजी)</li> </ul>	<b>19. विशेष आमंत्रित व्यक्ति</b> - 1 वर्ष के लिए रोटेशन के आधार पर किसी भी दो संघों के उद्योग प्रतिनिधि (एसोसिएशन ऑफ फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, लघु उद्योग भारती आदि)



## अनुलग्नक-IV

क्रमांक	मद	एनएसडीए में मौजूदा प्राधिकरण	एनसीवीईटी में प्रस्तावित प्राधिकरण	एनसीवीईटी में प्राधिकरण की सीमाएं	एनएसडीए में प्राधिकरण की मौजूदा सीमाएं
1.	परिषद के नियमों और उपनियमों को मंजूरी देना और उनमें संशोधन करना, बदलाव करना या उन्हें रद्द करना	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
2.	निधीयन के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत योजनाओं/परियोजनाओं का मूल्यांकन।	जनरल बॉडी शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां 150 करोड़ रु तक.
3.	वित्त पोषण के लिए एनसीवीईटी को प्रस्तुत प्रस्तावों की योजनाओं और लागत अनुमानों का अनुमोदन	सरकार (डीईए, एमओएफ )  जनरल बॉडी / शासी निकाय  अध्यक्ष	सरकार (एम/ओ कौशल विकास और उद्यमशीलता)  एनसीवीईटी परिषद  अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां  150 करोड़ रुपये तक  50 करोड़ रु तक.	पूर्ण शक्तियां  150 करोड़ रु तक.  50 करोड़ रु तक.
4.	एनसीवीईटी से संबंधित या उसमें निहित अचल संपत्ति के साथ सौदा	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
5.	एनसीवीईटी के कर्मचारियों के लाभ के लिए या एनसीवीईटी की गतिविधियों के उद्देश्य से पेंशन, भविष्य निधि और अन्य निधियों की स्थापना और/या खरीद।	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	एसडीई मंत्रालय के परामर्श से	व्यय मंत्रालय के परामर्श से
6.	शासी निकाय द्वारा अनुमोदित एजेंसी के वार्षिक बजट को अपनाएं	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
7.	एनसीवीईटी के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक शासी निकाय द्वारा प्रस्तावित समितियों का अनुमोदन	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां



8.	एनसीवीईटी के लिए बजट अनुमानों की समीक्षा और अनुमोदन	शासी निकाय (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
9.	संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों सहित देश और/या विदेश से अनुदान, उपहार, ऋण, सदस्यता, दान और नकद और किसी अन्य रूप में अन्य वित्तीय अंशदान प्राप्त करें, चाहे वह चल या अचल सम्पत्ति के रूप में हो।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
10.	परिषद के अंतर्गत प्रशासनिक, तकनीकी एवं अन्य पदों का सृजन	भारत सरकार	भारत सरकार	डीडीजी/संयुक्त सचिव के समकक्ष और उससे ऊपर के सभी पदों के लिए	डीडीजी/संयुक्त सचिव के समकक्ष और उससे ऊपर के सभी पदों के लिए
		शासी निकाय (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	एनसीवीईटी परिषद (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	डीडीजी/संयुक्त सचिव के समकक्ष और इससे ऊपर के अधिकारी के अलावा अन्य सभी पदों के लिए ।	डीडीजी/संयुक्त सचिव के समकक्ष और इससे ऊपर के अधिकारी के अलावा अन्य सभी पदों के लिए ।
11	ऐसे मानदेय या शुल्क या पारिश्रमिक के भुगतान पर एजेंसी में पेशेवर या तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को बनाए रखना और नियुक्त करना	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां। पेशेवर और परामर्श फर्मों की नियुक्ति सहित।	पूर्ण शक्तियां। पेशेवर और परामर्श फर्मों की नियुक्ति सहित।
		महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	अध्यक्ष के परामर्श से एक वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत सलाहकारों की नियुक्ति करना।	अध्यक्ष के परामर्श से एक वर्ष तक की अवधि के लिए व्यक्तिगत सलाहकारों की नियुक्ति करना।

12.	कार्यकारी सदस्यों को एनसीवीईटी परिषद की शक्तियों का प्रत्यायोजन।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
13.	परिषद के धन का निवेश करना	शासी निकाय (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	एनसीवीईटी परिषद (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निधियों/अतिरिक्त निधियों के निवेश पर जारी निर्देशों के अनुसार।	वित्त मंत्रालय और लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निधियों/अतिरिक्त निधियों के निवेश पर जारी निर्देशों के अनुसार।
14.	समीचीन नियम और शर्तों पर धन उधार लेना	शासी निकाय (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	एनसीवीईटी परिषद (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से)	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
15.	कानून द्वारा आवश्यक रूप में तुलन पत्रक सहित एजेंसी के उचित खाते तैयार करें और बनाए रखें।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां (प्रत्यायोजित)	पूर्ण शक्तियां (प्रत्यायोजित)
16.	सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोजन	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
17.	कौशल से संबंधित साहित्य, फिल्मों, ऐसी शैक्षिक या प्रचार या अन्य निर्देश सामग्री आदि के प्रस्तुतीकरण और वितरण का प्रचार करना , प्रायोजित करना या सब्सिडी देना।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
		अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।	प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।
18.	मीडिया और जागरूकता योजना का अनुमोदन	अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	डीएवीपी दिशानिर्देशों के पालन और बजट की उपलब्धता के अधीन पूर्ण अधिकार	डीएवीपी दिशानिर्देशों के पालन और बजट की उपलब्धता के अधीन पूर्ण अधिकार

19.	लाभार्थियों के चिन्हित समूहों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए प्रयोगात्मक और/या प्रायोगिक कार्यक्रमों को शुरू करना, प्रायोजित करना, समन्वय करना या सब्सिडी देना।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
		अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।	प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।
20.	अनुसंधान परियोजनाओं को विकसित करने या कौशल विकास के लिए संस्थागत या गैर-संस्थागत कार्यक्रमों की स्थापना में व्यक्तियों या संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
		अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।	प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।
21.	कौशल विकास के सभी पहलुओं पर मूल्यांकन और प्रलेखन के लिए वित्तीय या अन्यथा प्रयासों को व्यवस्थित, समन्वय या समर्थन करना।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
		अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।	प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।
		महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।	प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपये तक, बजट उपलब्धता के अधीन।
22.	संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, अध्ययन मंडलियों, कार्य समूहों, मेलों, प्रदर्शनियों और सम्मेलनों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) के आयोजन पर निर्णय लेना।	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
23.	उपरोक्त मद संख्या 22 (घरेलू के लिए) पर व्यय करने के लिए।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
24.	उपरोक्त मद संख्या 22 (अंतरराष्ट्रीय के लिए) पर व्यय करने के लिए।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां

25.	संस्थान को पुरस्कार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और वृत्ति योजना।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
26.	माल और उपकरणों की खरीद के लिए संविदा और निविदाएं i) 20 करोड़ रुपये से अधिक संविदा के लिए खुले या सीमित निविदा।	सामान्य निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	ii) 20 करोड़ रुपये तक के संविदा के लिए खुले या सीमित निविदा।	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	iii) 10.00 करोड़ रुपये तक के संविदा के लिए खुले या सीमित निविदा।	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	iv) 5.00 करोड़ रुपये तक के संविदा के लिए खुले या सीमित निविदा।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	v) 1.0 करोड़ रुपये तक की बातचीत या एकल निविदा या मालिकाना संविदा के लिए	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
27.	सेवाओं और परामर्श की खरीद के लिए आरएफपी i ) 20.00 करोड़ रुपये से अधिक	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	ii) 20.00 करोड़ रुपये तक	शासी निकाय	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	iii) 10.00 करोड़ रुपये तक	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	iv) 5.00 करोड़ रुपये तक	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (व्यवस्थापक), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	v) 1.0 करोड़ रुपये तक के एकल निविदा या मालिकाना संविदा के लिए	अध्यक्ष, एनएसडीए	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां

28.	मोटर वाहन: i ) स्टाफ कार और मोटर साइकिल सहित वाहनों खरीद (नियमित आधार पर) की।	अध्यक्ष	अध्यक्ष, एनसीवीईटी	इस संबंध में भारत सरकार के नियमों के अधीन पूर्ण शक्तियाँ	इस संबंध में भारत सरकार के नियमों के अधीन पूर्ण शक्तियाँ
	ii) स्टाफ कार और मोटर साइकिल सहित नियमित और जरूरत के आधार पर वाहनों को किराए पर लेना	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
	iii) नियमित (तैयार) खराब पड़े वाहनों के बदले खरीद या किराए पर लेना।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
	iv) वाहन का रखरखाव, पीओएल, रखरखाव और मरम्मत।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
	v) वाहन का समय और समयपूर्व अनुपयोगी घोषित करना	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	एनसीवीईटी परिषद द्वारा अनुमोदित और निर्धारित मानदंडों और मापदंडों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ (प्रत्यायोजित)।	एनसीवीईटी परिषद द्वारा अनुमोदित और निर्धारित मानदंडों और मापदंडों के अनुसार पूर्ण शक्तियाँ (प्रत्यायोजित)।
29.	एनसीवीईटी पर किसी भी कर्मचारी को टैक्सी या अन्य वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	(क) मुख्यालय में स्थानीय यात्रा के लिए वास्तव में भुगतान किए गए वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति किसी भी कर्मचारी को की जा सकती है, जो खर्च किये जाने के बाद उसके पास अधिकतम 300/- रु के अधीन है। (ख) अधिकारी द्वारा की गई स्थानीय यात्रा के लिए कार्यकारी सदस्य	(क) मुख्यालय में स्थानीय यात्रा के लिए वास्तव में भुगतान किए गए वाहन शुल्क की प्रतिपूर्ति किसी भी कर्मचारी को की जा सकती है, जो खर्च किये जाने के बाद उसके पास अधिकतम 300/- रु के अधीन है। (ख) अधिकारी द्वारा की गई स्थानीय यात्रा के लिए कार्यकारी सदस्य

				(प्रशासन) या अधिकृत कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।	(प्रशासन) या अधिकृत कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
30.	किराया, दर और कर	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
31.	कार्यालय का व्यय				
	i ) कार्यालय फर्नीचर / कार्यालय उपकरण, कार्यालय स्टेशनरी, विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड आदि सहित दुकानों की खरीद / मांगपत्र।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	ii) टेलीफोन बिल, डीटीएच कनेक्शन और शुल्क, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, आदि का प्रभार खर्च।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	iii) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, बाह्य उपकरणों, उपभोग्य सामग्रियों सहित कंप्यूटर और लैपटॉप।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्वीकृत दरों पर पूर्ण अधिकार	गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) की स्वीकृत दरों पर पूर्ण अधिकार
	iv) बिजली, गैस, पानी का प्रभार	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	v) रबर स्टाम्प और कार्यालय मुहरों की स्थानीय खरीद	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	vi) डाक और निजी कूरियर सेवा का शुल्क	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	vii) मुद्रण, बाइंडिंग और प्रकाशन	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां

	viii) आतिथ्य	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
	ix) प्रचार सामग्री और विज्ञापन का मुद्रण	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
32.	लघु-निर्माण कार्य	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
33.	उपकरण और औजार	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
34.	अग्रदाय /स्थायी अग्रिम की स्वीकृति	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
35.	एनएसडीए कर्मचारी को पुरस्कार, शुल्क, मानदेय की राशि	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	अधिकतम 3500 रुपये तक	अधिकतम 3500 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक व्यक्ति के लिए
36.	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति	जनरल बॉडी	एनसीवीईटी परिषद	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
37.	अग्रिम, ऋण, एचबीए अन्य अग्रिम, एलटीसी आदि	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	पूर्ण शक्तियां	पूर्ण शक्तियां
38.	आकस्मिकता संबंधी मदों को उपरोक्त में शामिल नहीं किया गया है।	महानिदेशक	कार्यकारी सदस्य (प्रशासन), एनसीवीईटी	प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक	प्रति वर्ष 10 लाख रुपये तक

\*\*\*\*\*